

डिक्री व मुकदमें ईवतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :- 88/53 आरटीए
प्रकरण संख्या:- 329/2025

1. अनाम सिंह पुत्र श्री हमीर सिंह जाति जटसिख निवासी लम्बी ढाबं तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. राजवंत सिंह पुत्र श्री अंगुर सिंह जाति जटसिख निवासी लम्बी ढाबं तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
- वादीगण

बनाम्

1. तेजा सिंह पुत्र श्री मलन सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. मेजर सिंह पुत्र श्री मलन सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. हरदेव सिंह पुत्र श्री मलन सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
4. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।

प्रतिवादीगण


यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड़ वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री कुलदीप मूण्ड वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 3 एएमपी खाता संख्या 5/124 जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 नहरी मय गै.मु.आराजी का वादीगण को खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम कलमजन कर वादीगण का जमाबन्दी निम्नानुसार अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं:-

1 वादीगण अनाम सिंह पुत्र श्री हमीर सिंह (0.967 है.) एवं राजवंत सिंह पुत्र श्री अंगुर सिंह (0.323 है.) समस्त जाति जटसिख निवासीगण लम्बी ढाबं तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि का विवरण :- चक 3 ए.एम.पी. विवादित खाता सं. 5/124 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
160/140	88	25/1/0.139 है., 25/2/0.038 है.
161/140	87	11,19,20/0.253 है.प्र., 21/1/0.139 है., 21/2/0.038 है., 22/1/0.139 है., 22/2/0.038 है.कुल 1.290 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काशतकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज........नल........मुखिक........निल........बाबत........निल........खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक........अदा करें।
बसब मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....2.7.2025.....को जारी किया गया।


(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
राजस्थान